

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- मुसप्र/सस्थाएं/शर्तो की पालना/2012/2688 दिनांक :- 7.2.2012

उप आवासन आयुक्त

वृत्त...~~उत्तर~~

राजस्थान आवासन मण्डल

**विषय:-** सस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में (शर्तो की पालना)


**सन्दर्भ:-** पत्र क्रमांक मुसप्र/सस्थागत/भू-आवंटन/2011/2098 दिनांक 31.12.2011

प्रासंगिक विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा सस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में आवंटी संस्थाओं द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर उन संस्थाओं के खिलाफ नोटिस दिये जाने तथा आवश्यक कार्यवाही करते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था इसके अतिरिक्त निर्देशों की समयबद्ध पालना करने एवं दिनांक 25.01.2012 तक वांछित पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संस्थाओं द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने पर उनके खिलाफ आपके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना निम्न प्रपत्र में दिनांक 10.02.2012 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें :-

क्रम संख्या	योजना का नाम	संस्था का नाम	आवंटित भूमि की माप व गी	आवंटन का प्रयोजन	आवंटन शर्त के उल्लंघन का विवरण	शर्तो की पालना हेतु नोटिस का विवरण	वर्तमान में संस्था के विरुद्ध गई कार्यवाही	विशेष विवरण/ अभिशांषा

उक्त रिपोर्ट दिनांक 10.02.2012 तक प्रस्तुत नहीं करने को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

  
( पवन कुमार गोयल )  
आवासन आयुक्त

**प्रतिलिपि-** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक,विधि/अति.मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त निर्देशों की पालना करवा कर पालना रिपोर्ट समय पर व्यक्तिशः प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. ACP ए.आ. मण्डल, जयपुर | कृपया मेल कार्डों व website पर उल्लेख करें।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक